न्यायालय जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर),उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः नमित मेहता आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या 06 / 21 (आर्बीट्रेशन)
GCMS No. 2021/102

श्री नारायणलाल पिता मोडीलाल जाट निवासी देबारी (जिंक चौराहा), तहसील–गिर्वा, उदयपुर

......................प्रार्थी

बनाम

1. भारत संघ सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, जरिये चेयरमेन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुख्यालय जी–5,6 द्वारका, सेक्टर–10, नई दिल्ली।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना इकाई उदयपुर–मंगलवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड कार्यालय 10–ए, पंचवटी, उदयपुर (राज.)
3. प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी अंतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.) जिलाधीश परिसर उदयपुर(राज.)

....................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5 व 6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996

उपस्थितिः– श्री ललित जैन, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री पी.सी.जैन, अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक–15/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र जरिये प्रकरण संख्या 16 / 17 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षों को सुना जाकर दिनांक 14.05.2018 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या–4, उदयपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश संख्या–4, उदयपुर द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण संख्या 16 / 17 में

जिला कलक्टर
उदयपुर

पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि विद्वान आर्बीट्रेटर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2018 पर उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थी की आपत्तियों एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों के पक्ष में जारी अवार्डो को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत नया निर्णय पारित करे।

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को नये सिरे से सुना गया। विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी क्लेम याचिका में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक मंजिली व्यावसायिक एवं आवासीय परिसर का भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा चित्तौड़गढ़–उदयपुर मार्गाधिकार के राष्ट्रीय राजमार्ग 6 लेन सड़क निर्माण कार्य के अपग्रेड निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति कार्यवाही कर अवार्ड जारी किया गया जो काफी कम किया गया जबकि मौके पर जो संरचना बनी हुई थी उसका मूल्यांकन अधिक होना चाहिए था। अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों व दायित्वों का विधिसंगत पालना करते हुए मनमकसूद तरीके से बिना किसी आधार के उक्त अवार्ड पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा उक्त भूमि को वन भूमि मानते हुए मुआवजा देने हेतु सहमत नहीं है और सम्पूर्ण भूमि का एक भी पैसा मुआवजे स्वरूप प्रार्थी को दिये जाने बाबत आदेश पारित नहीं किया गया है। मूल्यांकनकर्ता द्वारा मनमकसूद तरीके से उक्त जिंक स्मेल्टर(देबारी) चौराहे पर अवाप्त की गई सभी जमीनों, जो एक ही प्रकृति की एवं एक ही तरह के निर्माण एवं एक ही तरह के क्षेत्रफल मे हुए निर्माण को लेकर था, को अलग–अलग किसी को बहुत ज्यादा राशि तो किसी को बहुत कम राशि अवार्ड स्वरूप प्रदान की गई। किसी को वनभूमि बताते हुए जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया तो किसी को वन भूमि की जमीन पर कब्जा मानते हुए जमीन का मुआवजा दिया गया। इस तरह से एक ही क्षेत्र में अलग–अलग मूल्यांकन किया जाकर श्री रामचन्द्र पुत्र गुलाब जी औदिच्य, मनोहर सिंह पिता रामसिंह राजपूत, श्यामलाल पुत्र शंकरलाल नागदा, नवल कुंवर पत्नी मनोहर सिंह राजपूत, सतवंत सरदार, मोहम्मद वाहिद एवं पटेल इंजीनियरिंग एवं राजस्थान इंजीनियरिंग को मुआवजा काफी ज्यादा दिया गया। एक ही प्रकृति की जमीन एवं एक ही प्रकृति के निर्माण कार्य एवं एक ही स्थान पर लगी हुई आगे पीछे की संरचना एवं जमीन का अलग–अलग मूल्यांकन कर

जिला कलक्टर
उदयपुर

असंगतता से भुगतान किया जिस हेतु प्रकरण के निस्तारण में उक्त अवार्डो का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार अदा योग्य जमीन एवं संरचना का मुआवजा दिलाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अवाप्त भूमि मौजा जिंक स्मेल्टर की आराजी संख्या 4508 रकबा 16.1600 हैक्टेयर किस्म मगरी होकर राजस्व अभिलेख में संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी में भी एन.एच.ए.आई. के नाम 0.0400 हैक्टेयर दर्ज है। प्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण करवाया गया है। अवाप्त भूमि में प्रार्थी का स्वत्व निहित नहीं होने, भूमि की किस्म वाणिज्यिक नहीं पाये जाने के आधार को ध्यान मे रखते हुए अवार्ड पारित किया गया है। वर्तमान में भी प्रार्थी द्वारा इसी आराजीयात में अवैध अतिक्रमण कर संरचनाओं का निर्माण किया गया है और वन भूमि पर विधिक प्रावधानों के तहत संबंधित विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को हस्तांतरित की गई है। जिसके तहत विपक्षीगणों को स्वामित्व निहित न होने से प्रार्थी किसी भी आशय का भूमि सम्बन्धी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं नाही ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि अवाप्त भूमि पर बनी संरचनाओं की मुआवजा राशि अदा कर ही कब्जा लिया गया है। ऐसी स्थिति में अवार्ड में तनिक भी वृद्धि किये जाने का आधार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 16/17 अनवान नारायणलाल बनाम परियोजना निदेशक दर्ज करा मुआवजा राशि बाजार दर एवं ब्याज राशि का भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया था जो दिनांक 14.05.2018 को खारिज करते हुए निर्णित किया गया। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 उदयपुर में प्रकरण संख्या 24/2018 अनवान नारायणलाल बनाम भारत संघ व अन्य से प्रार्थना पत्र दर्ज कराया गया। माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 उदयपुर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.05.2018 को अपास्त कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2018 पर उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थी की आपत्तियों एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों के पक्ष में जारी अवार्डो को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत नया

जिला कलक्टर
उदयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
प्र.स. 06 / 21 आर्बीट्रेशन
नारायणलाल बनाम NHAI
GCMS No. 2021/102

निर्णय पारित करने का आदेश दिनांक 05.02.2021 को पारित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा भी दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिंक चौराहे पर अवाप्त की गई सभी जमीनों जो एक ही प्रकृति की एवं एक ही तरह के निर्माण के अलग अलग अवार्ड जारी किये गये है एवं अन्य व्यक्तियों को अधिक मुआवजा भुगतान किया गया है। साथ ही मूल प्रार्थना पत्र अनुसार मुआवजा राशि भुगतान कराये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 उदयपुर द्वारा पारित निर्णयानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2018 पर उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थी की आपत्तियों एवं प्रार्थना पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों के पक्ष में जारी अवार्डो को दृष्टिगत रखते हुए विधिसम्मत नया निर्णय पारित करे।

निर्णय की प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावें। आदेश की एक .एक प्रति दोनो पक्षकारानो को नियमानुसार प्रदान की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
उदयपुर